

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2024/227

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासनगाँवों के संग
अभियान - 2021 ✓

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रहड़ की
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 66, 67, 173
में प्रार्थी का नाम घोसा पुत्र दातर दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
आधार कांड में जोर का रामदेव पुत्र दातर है जो

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।
महोदय, मैं निवेदन है कि मेरा नाम घोसा का घोसा रामदेव
करना के की कृपा कराके ।

दिनांक:-

प्रार्थी
रामदेव रेगर
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रहड़ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के
खाता संख्या 66, 67, 173 में प्रार्थी का नाम घोसा पुत्र दातर दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
आधार कांड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामदेव है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0
रामदेव

रामदेव रेगर

पटवारी
रामदेव रेगर

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी रहड़ व भू0अ0नि0 रामदेव एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम रहड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 66, 67, 173 में प्रार्थी का
नाम घोसा के बजाय रामदेव किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

5750/1612
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रहड़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता
संख्या 66, 67, 173 में दर्ज प्रार्थी का नाम घोसा के स्थान पर रामदेव संशोधन के

आदेश दिये जाते है।



उपखण्ड अधिकारी
प्रभा शिवजी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)